REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2024

ग्रामीण विकास व ग्रामीण पुनर्निर्माण में ई–प्रशासन की भूमिका

नीरज कुमार झा
शोध छात्र, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

सार संक्षेप

भारत सरकार मूलभूत शासन की गुणवत्ता में सुधार दर्ज करने हेतु साधारण जनता से जुड़े क्षेत्रों में ई–प्रशासन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है। ई–प्रशासन के कारण न केवल सरकारी सेवाओं और कामकाज की कार्यकुशलता तीव्र गति से बढ़ती है अपितु सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार संभव होता है। यही नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में एकीकरण व समन्वय का मार्ग सुगम होने से योजना के निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव है। ई–प्रशासन के जरिए सरकारी अभिलेखों, नियमों, कानूनों व अधिकारों के बारे में शीघ्र व विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति संभव होने से समय की बरबादी, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार आदि जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम कसना संभव है। ग्रामीण विकास व ग्रामीण पुनर्निर्माण का लक्ष्य हासिल करना तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर लोगों को ग्रामीण कार्यक्रमों की जानकारी व सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध हो तथा उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ई– प्रशासन व्यवस्था का विकास होने पर ग्रामीण जनों को विविध विकास कार्यक्रमों व परियोजनाओं एवं उनकी प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है तथा वे इनसे लाभान्वित होकर सही अर्थों में विकास पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसके साथ ही ई–प्रशासन के कारण "सामाजिक अंकेक्षण'' की व्यवस्था अधिक कारगर व प्रभावी बनाई जा सकती है जिसके कारण इन कार्यक्रमों व योजनाओं से भ्रष्टाचार व बेईमानी जैसे तत्वों को समूल उखाड़ना संभव है।

मुख्य शब्दः ई– प्रशासन, ग्रामीण विकास, शाईनिंग इण्डिया, लोकतांत्रिक संवाद.

भूमिका

ऐसा पाया गया है कि ग्रामीण जनों को भू–स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करने हेतु दफ्तरों के अनेक चक्कर लगाने पड़ते है जिससे उनका समय बर्बाद होता है तथा साथ ही रिश्वत भी चुकानी पड़ती है। ई–प्रशासन के तहत ग्रामीण लोगों को भू–संबंधी दस्तावेज, भू–पंजीकरण,, प्रमाणपत्र (मूल निवास, आय, जाति आदि) शीघ्र व कम लागत पर उपलब्ध कराना संभव है जोकि निसंदेह रूप से ग्रामीण विकास के दृ ष्टिकोण से आवश्यक है। ई–प्रशासन के जरिए विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि एवं निर्माण कार्य तथा क्रियान्वयन आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हासिल करके उनकी प्रभावशीलता में संवृद्धि की जा सकती है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इन योजनाओं की सार्थकता संदिग्ध हो जाती है। इसी तथ्य की ओर संकेत

करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने कहा था कि ''केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही गांवों तक पहुँचते हैं, शेष राशि बीच में ही गायब हो जाती है।''

राष्ट्रीय विकास में सूचना की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना के अभाव में बेरोजगार युवक रोजगार से वंचित रह जाते हैं। किसान अच्छी फसल, अच्छे बीज व अच्छे प्रतिफल से वंचित रह जाते हैं तथा गरीब महिलाएं रोजगार व स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लाभों से महरूम रह जाती है। ई–प्रशासन के अन्तर्गत ग्रामीण किसानों को नई खोजों, अनुसंधान एवं नवीन कृषि तकनीक, कृषि उपज की कीमतों आदि के बारे में आवश्यक जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था होने पर किसान ई–मेल के माध्यम से सही कीमतों पर व सही समय पर अच्छी किस्म के बीज, खाद व अन्य यंत्र भी खरीद सकते है।

इसी भाँति, ग्रामीण बेरोजगार युवक विविध परीक्षाओं, विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन आदि सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाओं से लाभान्वित होकर शहरी युवकों के समकक्ष कदमताल कर सकते है। यही नहीं, ग्रामीण प्रशिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियाँ, आईटी क्षेत्रों में गांवों में ही रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से 'शाईनिंग इण्डिया' व 'भारत' के मध्य विद्यमान अंतराल को दूर करना संभव है तथा ग्रामीण प्रतिभा का पलायन शहरों की तरफ भी नहीं होगा। ई–प्रशासन के अनेक फायदे होने के बावजूद भी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई–प्रशासन की व्यवहार्यता के संदर्भ में काफी सीमाएं विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, सूचना प्राद्योगिकी का सीमित उपयोग, आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव जैसे तत्व ई–प्रशासन के व्यापक उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की उपलब्धता व प्रयोग बहुत कम है। बिजली, पानी, सड़क व कम्प्यूटर आदि की सुविधाएं विद्यमान नहीं होने से उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। ऐसी निराशाजनक स्थिति में ई–प्रशासन की सफलता सुनिश्चित करना जटिल व दुष्कर कार्य हैं। ग्रामीण जनों की सोच परम्परावादी, अंधविश्वासी व रुढ़िवादी है, आधी ग्रामीण महिलाएं निरक्षरता के दंश से आहत है, वे तकनीकी भाषा व आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के साधनों के उपयोग से अनभिज्ञ है, ऐसी विषम स्थिति में ई– प्रशासन की प्रासंगिकता सीमित रह जाती है। यही नहीं, ई–प्रशासन की अवधारणा व उसकी कार्यप्रणाली, कार्यों व व्यवस्थाओं के बारे में ग्रामीण जनता जानकारी के अभाव में अंधेरी गलियों में गुमराह होती रहती है। ऐसी स्थिति में, ई–प्रशासन के माध्यम से उत्तरदायी, ईमानदार व जवाबदेह प्रशासन व्यवस्था की कल्पना को सार्थक किया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण स्तर से यह सच्चाई भी सामने आई है कि गांव स्थानीय राजनीति के दलदल में फंसे रहते है, नागरिकों व प्रशासन के मध्य संबंध सौहार्द व समन्वय की नींव पर आधारित नहीं होकर नकारात्मक तत्वों पर टिके होते हैं। ऐसी स्थिति में ई–प्रशासन से प्राप्त लाभों का दायरा सीमित हो जाता है। इन सब कमियों के बावजूद भी जरूरी है कि 21 वीं सदी में विकास की अवधारणा को सशक्त व स्थायी बनाये रखने के लिए देश की आधारभूत इकाई गांव में ई–प्रशासन की कल्पना को साकार किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गांवों में उपयुक्त माहौल को निर्मित करना एवं सुविधाओं का आधारभूत ढांचा तैयार करना आवश्यक है। ई–प्रशासन के जरिए गांवों को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु सर्वप्रथम यह जरूरी है कि गांवों में आधारभूत बुनियादी सुविधाओं यथा बिजली, पानी, सड़क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए क्योंकि इनके अभाव में ई–प्रशासन की प्रासंगिकता पर चिन्ह न लगे। तत्पश्चात् ग्रामीण जनता को कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि की आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय भाषा व बोलचाल का उपयोग करके ही गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चेतना व जागृति उत्पन्न करना संभव है। गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करके ग्रामीण विकास संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। कम्प्यूटर के जरिए सभी विभागों के ऑकड़े, कार्यक्रम व सूचनाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि ग्रामीण जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें, योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल हो सके। इस प्रकार से सरकार व नागरिकों के मध्य लोकतांत्रिक संवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसानों, युवकों व महिलाओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी व सूचना इंटरनेट के माध्यम से समय–समय पर मिलती रहे ताकि उनका सार्थक व व्यावहारिक उपयोग हो सके। ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ई–प्रशासन के माध्यम से ही व्यापक भागीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव है। ई–प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण को

सस्ती, अधिक कार्यकुशल व त्वरित सेवा प्रदान करके गांवों की तस्वीर को चमकाया जाना संभव है तथा समावेशी विकास को वास्तविक अर्थों में प्राप्त किया जा सकता है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। अतएव ग्रामीण विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण विकास की गति को तीव्र करने, पारदर्शी बनाने तथा भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त करने में ई–प्रशासन का क्रियान्वयन प्रभावी सिद्ध हो सकता है। ऐसे परिवेश में वर्तमान अध्ययन बिहार राज्य के संदर्भ में ग्रामीण विकास में ई–प्रशासन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने को लक्षित है। हमारा प्रयास ई–प्रशासन के मार्ग की बाधाओं की पहचान तथा सुधारात्मक उपाय सुझाना भी रहा है।

ई–गवर्नेस से सुशासन की दिशा में तभी प्रगति हो सकती है जब ज्यादातर आबादी इस नई तकनीक को समझने में सक्षम हो। लेकिन, ज्यादातर राज्यों में स्थानीय भाषा में सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। यह सत्य है कि राज्यों के सीमांत गांवों में इसे स्थानीय भाषा के सम्प्रेषण से ही सफल बनाया जा सकता है। हमारे सांस्कृतिक ताने–बाने में जहाँ एक ओर विश्वास की संस्कृति स्थापित रही है। वही तर्क की संस्कृति कमजोर रही है जिससे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में जन–उदासीनता के कई साक्ष्य मिलते है। शासन तंत्र के बारे में कोई नृप होय, हमें का हानि की सोच ने एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के चलते ई–गवर्नेस को अपनाने में जनता ने उदासीनता को स्थापित कर रखा है। जिससे ई–गवर्नेस को अपनाने में जनता असहजता का अनुभव करती है।

भारतीय नौकरशाही का ढांचा ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिला था। सरकारी कामकाज एवं दस्तावेजों को गोपनीय रखने की प्रवृत्ति तब से लेकर आज तक शासन–तंत्र में कायम है। शक्ति और निरंकुशता के आधार पर कुलीन सोच की मनोवृत्ति से ग्रस्त नौकरशाह प्रायः निरंकुश बने रहना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सुशासन का सपना यथार्थ में नहीं बदल पाता है। साथ ही साथ ई–गवर्नेस की दिशा में प्रगति कमजोर हो जाती है। संसाधनों की कमी के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु सभी स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ई–गवर्नेस की स्थापना की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। जिसका समाधान लोकसेवकों के प्रशिक्षण में ई–गवर्नेस को शामिल कर खोजा सकता है। इन परिस्थितियों के बीच बिहार में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने में ई–प्रशासन प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इस मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। लेकिन, उन बाधाओं पर काबू पाया जा सकता है। इस अध्ययन में हमने बिहार राज्य में ई–प्रशासन की दशा–दिशा का विश्लेषणात्मक विवेचन किया है। वस्तुतः अध्ययन प्रासंगिक एवं महती आवश्यकता वाला है।

वैट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमः

सुविधा योजना के तहत वैट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर व्यवसायियों को ऑन लाइन सेवा प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत तत्काल रोड परमिट, ई–रिटर्न एवं ई–भुगतान आदि का ऑन लाइन सेवा प्रदान किया जा रहा है। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्कः बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात विस्वान से सभी 38 जिलों एवं 495 प्रखंडों को जोड़ा गया है।इसके तहत डीएचक्यू एवं बीएचक्यू स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में वॉयस, वीडियो एवं डाटा के आदान–प्रदान करने हेतु नेटवर्क कनेक्टिविटी किया गया है। इससे 49 वाणिज्य कर कार्यालय एवं पांच चेक पोस्ट को भी कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार विस्वान के कारण राज्य मुख्यालय, जिला एवं प्रखंड मुख्यालय आपस में जुड़ गये हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य में आसानी हो गयी है। इससे वीडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा आपस में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल की जा रही है।

ई–प्रोक्योरमेंट :

ई–प्रोक्योरमेंट के तहत ऑन लाइन निविदा किये जा रहे हैं जिससे निविदा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आयी है। उल्लेखनीय है कि 25 लाख से ऊपर के राज्य सरकार की सभी निविदाओं के लिए ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया अनिवार्य बना दिया गया है। इससे संवेदकों को निविदा भरने में काफी आसानी हो गयी है।

बिहार जन शिकायत निवारण प्रणाली :

बिहार जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आये आवेदनों को निष्पादित करने में सहूलियत हुई है। इससे विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन से जुड़े आवेदनों को निष्पादित समय पर कराने में सहायता मिली है। उल्लेखनीय है कि यह प्रणाली वेव आधारित एक कंप्यूटरीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली है।

ई–शक्ति परियोजना :

ई–शक्ति परियोजना के माध्यम से मनरेगा परियोजना में पारदर्शिता आयी है। उल्लेखनीय है कि यह प्रणाली वायोमेट्रिक आधारित एक सत्यापन प्रणाली है. जिसके द्वारा मजदूरी भुगतान की प्रणाली में सुधार किया गया है।

इंटेगरेटेड वर्कफ्लो एंड डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम :

इंटेगरेटेड वर्कफ्लो एंड डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्वचालित कार्यालय प्रबंधन का एक सिस्टम है। इससे प्रशासन में क्षमता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हुआ है। इस प्रणाली के लागू हो जाने से मुकदमा दायर होने के कुछ ही घंटों के अंदर इस स्वचालित प्रणाली के द्वारा संबंधित विभाग एवं प्रशासन को याचिका की स्कैन प्रतिलिपि ऑन लाइन उपलब्ध हो जाती है। इस प्रणाली का उपयोग सभी विभागों एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुश्रवण हेतु किया जा सकता है।

कंप्रिहेंसिव ट्रेजरी मैनेजमेंट एवं इंफॉरमेशन सिस्टमः

कंप्रिहेंसिव ट्रेजरी मैनेजमेंट एवं इंफॉरमेशन सिस्टम एक ऐसा एकीकृत सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन वजटिंग, आवंटन एवं खर्च का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा सभी 71 कोषागारों एवं 59 फैसीलीटेशन सेंटरों को जोड़ा गया है।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे :

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के द्वारा राज्य के आठ सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसके द्वारा राज्य के सभी प्रकार के गवर्नमेंट–टू–सिटिजन एवं गवर्नमेंट–टू–बिजनेस सेवाओं के पेमेंट, एसएसएस एवं ई–मेल जैसे सेवा प्रदान किया जाता है।

सीटी वाई–फाई :

सीटी वाई–फाई को प्रयोग के तौर पर पटना के सीमित क्षेत्र लगभग 20 किमी में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसे ई–बिहार 2014 के अवसर पर शुरू कर इस क्षेत्र को फ्री जोन घोषित किया गया है। यह जोन मोबाइल सत्यापन आधारित सबसे बडा जोन है।

सारथी एवं वाहन सॉफ्टवेयरः

सारथी एवं वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना, टैक्स जमा करना तथा अनुज्ञप्ति बनवाना आसान हो गया है। इसके कारण जिला परिवहन कार्यालय में लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता है। स्मार्ट कार्डयुक्त लाइसेंस बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जा रहा है।

आवास सॉफ्टवेयर :

इसके अलावा इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित आवास सॉफ्टवेयर को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। इसके तहत अब तक के लाभार्थी की विवरणी की प्रविष्टि करायी जा रही है। प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं एवं लेखा की भी प्रविष्टि करायी जा रही है।

ई–प्रशासन के अन्य उपायः

इस प्रकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नयी–नयी परियोजनाओं को लागू कर सरकार ने ई–प्रशासन को बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे आम नागरिक को काफी सहूलियत हुई है। प्रशासनिक एवं योजनागत लागत में कमी आयी है, कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हुई है। व्यापार जगत और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा का लाभ मिल रहा है। योजनाओं एवं सेवाओं में पारदर्शिता आयी है, भ्रष्टाचार विरोधी आवाज तेज हुई है, प्रशासन एवं आम जनता दोनों में जवाबदेही आयी है।

ई –पंचायत एवं ई–ग्रामः

विहार के कई पंचायत एवं गांव सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ई–प्रशासन के दिशा में एक नया आयाम को जोड़ा है। कई पंचायतें अब हाईटेक हो गयी हैं। कई मुखिया, जो पहले कंप्यूटर का माउस तक नहीं पकड़ते थे, अब धड़ल्ले से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। कई पंचायतों की सभी प्रकार की जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। देश में पहली बार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार ई–पंचायत एवं ई–ग्राम के द्वारा ई–प्रशासन को बढ़ावा देने में भी आगे आ रहा है।

ई–गवर्नेस शासन व्यवस्था में गोपनीयता के विपरीत पारदर्शी संरचना का विकास करता है, जो सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यह प्रत्येक स्तर पर जनता एवं प्रशासन के बीच विद्यमान गहरी खाई में सहयोग, समन्वय एवं खुली व्यवस्था का निमार्ण करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर जनता को क्या, क्यों, कैसे का उत्तर प्राप्त हो सकता है तथापि विकास कार्यो, शासकीय निविदाओं आदि में गोपनीयता की आड़ में पनपते भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। जिस पर वह अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सुशासन को बल प्रदान कर सकेगी। ई–गवर्नेस के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति जनता को सहज ही सुलभ हो सकेगी। ई–गवर्नेस के माध्यम से 'संसूचित नागरिक संसूचित समाज' का नारा चरितार्थ किया जा सकेगा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, संवर्द्धन, एवं विकास की दिशा में नया आयाम स्थापित होगा।

ई–गवर्नेस के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं जिनके निराकरण में अभी समय लगेगा। जिस देश की एक चौथाई से अधिक आबादी निरक्षर हो तथा कम्प्यूटर साक्षरता एवं विधिक साक्षरता के आंकड़े उपलब्ध ही न हो वहां ई–गवर्नेस की योजना को यथार्थ में लागू करना एक चुनौती भरा कार्य होगा। फलतः ई गवर्नेस की सम्पूर्ण सफलता हेतु देश की आबादी को पूर्ण साक्षर बनाना होगा तथा ई–साक्षरता एवं विधिक साक्षरता की दिशा में द्रुतगति से विकास करना अनिवार्य होगा।

सूचना की संस्कृति का अभाव भी ई–गवर्नेस में बाधक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित सन् 1923 के सरकारी गोपनीयता कानून की जकड़न से सूचना के अधिकार कानून 2005 के बावजूद भी. जनता आज तक इस पारदर्शी व्यवस्था का उपयोग करने में हिचकिचाती है। अतः जनजागृति की अत्यधिक आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे एवं सुविधाओं के अभाव के कारण देश के बहुसंख्यक क्षेत्र आज भी बिजली, पानी, सड़क और दूरसंचार के लिए संघर्षरत है। राजनैतिक नेतृत्व भी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ता है। अभी ई–गवर्नेस का मुद्दा उनके एजेंडों से काफी दूर है। यद्यपि पड़ोसी राज्यों के विगत निर्वाचन में कुछ राजनैतिक दलों ने लैपटॉप देने की बात अवश्य कहीं थी लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यह योजनाएं फलीभूत नहीं हो सकती हैं, तथापि ई–गवर्नेस से सुशासन का सपना धरातल पर आने में देरी होगी।

ई–गवर्नेस से सुशासन की दिशा में तभी प्रगति हो सकती है जब ज्यादातर आबादी इस नई नकनीक को समझने में सक्षम हो लेकिन ज्यादातर राज्यों में स्थानीय भाषा में सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं हैं। यह सत्य है कि राज्यों के सीमांत गांवों में जहां स्थानीय भाषा ही समझी जाती है वहां ई–गवर्नेस को स्थानीय भाषा के सम्प्रेषण से ही सफल बनाया जा सकता है।

हमारे सांस्कृतिक ताने–बाने में जहां एक ओर विश्वास की संस्कृति स्थापित रही है। वहीं तर्क की संस्कृति कमजोर रही है जिससे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में जन–उदासीनता के कई साक्ष्य मिलते हैं। शासन तंत्र के बारे में कोई नृप होय हमें का हानि की सोच ने, एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के चलते ई–गवर्नेस को अपनाने में जनता ने उदासीनता को स्थापित कर रखा है जिससे ई–गवर्नेस को अपनाने में जनता असहजता का अनुभव करती है।

भारतीय नौकरशाही का ढांचा ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिला था। सरकारी कामकाज एवं दस्तावेजों को गोपनीय रखने की प्रवृत्ति तब से लेकर आज तक शासन–तंत्र में कायम है। शक्ति और निरंकुशता के आधार पर कुलीन सोच की मनोवृत्ति से ग्रस्त नौकरशाह प्रायः निरंकुश बने रहना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सुशासन का सपना यथार्थ में नहीं बदल पाता है। साथ ही साथ ई–गवर्नेस की दिशा में प्रगति कमजोर हो जाती है।

संसाधनों की कमी के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु सभी स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ई–गवर्नेस की स्थापना की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। जिसका समाधान लोकसेवकों के प्रशिक्षण में ई–गवर्नेस को शामिल कर खोजा जा सकता है।

महाराष्ट्र में भी ई–गवर्नेस के माध्यम से ग्रामीण जनता की सूचना सम्बन्धी बहुविध आवश्यकताएं जैसे भू–अभिलेख की प्रतियां, कृषि सम्बन्धी जानकारियां एवं नवीन तकनीकी खोजों के साथ–साथ कृषि उपज मण्डियों के भाव आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण जनता मोबाईल प्रयोग की भांति ई–सुविधाओं की उभरती तकनीक को अपनाकर सुशासन के नए अवसर का सदुपयोग करेगी। आवश्यकता इस बात की है कि सस्ती दरों में ई–गवर्नेस के नवाचार एवं उसकी व्यापक उपयोगिता से ग्रामीण जनता को परिचित कराया जाए।

राष्ट्रीय विकास में सूचना की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना के अभाव में बेरोजगार युवक रोजगार से वंचित रह जाते हैं। किसान अच्छी फसल, अच्छे बीज व अच्छे प्रतिफल से वंचित रह जाते हैं तथा गरीब महिलाएं रोजगार व स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लाभों से महरूम रह जाती हैं। ई–प्रशासन के अन्तर्गत ग्रामीण किसानों को नई खोजों, अनुसंधान एवं नवीन कृषि तकनीक, कृषि उपज की कीमतों आदि के बारे में आवश्यक जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था होने पर किसान ई–मेल के माध्यम से सही कीमतों पर व सही समय पर अच्छी किस्म के बीज, खाद व अन्य यंत्र भी खरीद सकते हैं।

निष्कर्ष

इसी भांति, ग्रामीण बेरोजगार युवक विविध परीक्षाओं, विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन आदि सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाओं से लाभान्वित होकर शहरी युवकों के समकक्ष कदमताल कर सकते हैं। यही नहीं, ग्रामीण प्रशिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियां, आईटी क्षेत्रों में गांवों में ही रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से 'शाईनिंग इण्डिया' व 'भारत' के मध्य विद्यमान अंतराल को दूर करना संभव है तथा ग्रामीण प्रतिभा का पलायन शहरों की तरफ भी नहीं होगा। ई–प्रशासन के अनेक फायदे होने के बावजूद भी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई–प्रशासन की व्यवहार्यता के संदर्भ में काफी सीमाएं विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग, आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव जैसे तत्व ई–प्रशासन के व्यापक उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की उपलब्धता व प्रयोग बहुत कम है। बिजली, पानी, सड़क व कम्प्यूटर आदि की सुविधाएं विद्यमान नहीं होने से उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। ऐसी निराशजनक स्थिति में ई–प्रशासन की सफलता सुनिश्चित करना जटिल य दुष्कर कार्य है। ग्रामीण जनों की सोच परम्परावादी, अंधविश्वासी व रूढ़िवादी है. आधी ग्रामीण महिलाएं निरक्षरता के दंश से आहत हैं. वे तकनीकी भाषा व आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के साधनों के उपयोग से अनभिज्ञ हैं, ऐसी विषम स्थिति में ई–प्रशासन की प्रासंगिकता सीमित रह जाती है। यही नहीं ई–प्रशासन की अवधारणा व उसकी कार्यप्रणाली, कार्यों व व्यवस्थाओं के बारे में ग्रामीण जनता जानकारी के अभाव में 'अंधेरी गलियों में गुमराह होती रहती है। ऐसी स्थिति में ई–प्रशासन के माध्यम से उत्तरदायी. ईमानदार व जवाबदेही प्रशासन व्यवस्था की कल्पना को सार्थक किया जाना संभव नहीं है। ग्रामीण स्तर पर यह सच्चाई भी सामने आई है कि गांव स्थानीय राजनीति के दलदल में फंसे रहते हैं, नागरिकों व प्रशासन के मध्य संबंध 'सौहार्द' व समन्वय की नींव पर आधारित नहीं होकर 'नकारात्मक तत्वों पर टिके होते हैं। ऐसी स्थिति में ई–प्रशासन से प्राप्त लाभों का दायरा सीमित हो जाता है। इन सब कमियों के बावजूद भी जरूरी है कि 21 वीं सदी में विकास की अवधारणा को सशक्त व स्थायी बनाये रखने के लिए देश की आधारभूत इकाई 'गांव में ई–प्रशासन की कल्पना को साकार किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'में उपयुक्त माहौल को निर्मित करना एवं सुविधाओं का ढांचा तैयार करना आवश्यक है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसानों, युवकों व महिलाओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी व सूचना इंटरनेट के माध्यम से समय–समय पर मिलती रहे ताकि उनका सार्थक व व्यावहारिक उपयोग हो सकें। 'ग्रामीण विकास की अवधारणा' को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ई–प्रशासन के माध्यम से ही व्यापक भागीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव है। ई–प्रशासन के माध्यम से ग्रामीणों को सस्ती, अधिक कार्यकुशल व त्वरित सेवा प्रदान करके गांवों की तस्वीर को चमकाया जाना संभव है तथा समावेशी विकास को वास्तविक अर्थों में प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. http://www.ndl.iitkgp.ac.in/re_document/inflibnet_shodhganga/shodhganga/10603_177892
2. https://hindiguider.com/gramin-vikas-me-panchayti-raj-ki-bhumika/
3. https://www.jetir.org/view?paper=JETIR1904S29
4. https://www.graminvikash.in/
5. https://www.rural.gov.in/hi/scheme-websites
6. https://www.dord.gov.in/